

[Dr. Vasant Kumar Pandit]

Report of the Committee which he has appointed?

SHRI PURUSHOTTAM KAUSHIK:
It will be placed on the Table of the House

12.58 hrs.

**COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS
THIRTEENTH REPORT**

SHRI VADVENDRA DUTT (Jaunpur): Sir, I beg to present the Thirteenth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions

12.58½ hrs.

**DEMANDS FOR EXCESS GRANTS
(RAILWAYS, 1975-76)**

**THE MINISTER OF RAILWAYS
(PROF. MADHU DANDAVATE)** Sir, I beg to present a statement showing Demands for Excess Grants in respect of the Budget (Railways) for 1975-76

12.59 hrs.

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (RAILWAYS), 1977-78

**THE MINISTER OF RAILWAYS
(PROF. MADHU DANDAVATE)** Sir, I beg to present a statement showing Supplementary Demands for Grants in respect of the Budget (Railways) for 1977-78

13 00 hrs.

MAITERS UNDER RULE 377

(1) Termination of Services of 22 Harijan Conservancy Workers in Babina Cantt Area, hansi

श्री लक्ष्मी नारायण नायक (खुजगर्ही): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अन्तर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव आपके

सामने रख रहा हूँ। बबीना कन्टोनमेंट एरिया में 22 हरिजन मफाई कर्मचारी कई वर्षों से काम कर रहे थे। उन्हें जहाँ स्थाई किया जाना चाहिए था, वहाँ उन्हें नौकरी से ही निकाल दिया गया। इस संदर्भ में श्री बेंगलूर के मामले में लोग बैसे ही परेशान हैं। जब ऐसे लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाये तो कि कई वर्षों से काम कर रहे थे, तो उनके स्वयं के लिए और उनके परिवार के लिए कितनी दुखदायी स्थिति हो सकती है, इसका ध्यान रखा जा सकता है। जो कर्मचारी इतने वर्षों से काम कर रहे हैं उन्हें स्थायी किया जाना चाहिए, किसी को अनिश्चितता की स्थिति में नहीं रखा जाना चाहिए। छोटे कर्मचारियों के लिए तो यह बहुत ही आवश्यक है क्योंकि उनमें उपर तो सरकार को ज्यादा खर्चा भी नहीं करना पड़ता है। इतनी देर तक कर्मचारी को अस्थायी तौर पर रखना उनके साथ अन्याय है। यह अन्याय छोटे कर्मचारियों के साथ बहुत अधिक हो जाता है क्योंकि अस्थायी तौर पर रहने पर उनके साथ बड़े कर्मचारी भी भेदभाव व्यवहार करते हैं। इसलिए मेरी मांग है कि इन 22 हरिजन मफाई कर्मचारियों को तुरन्त नौकरी पर लिया जाये और इनकी नौकरी को भी स्थायी किया जाये। कन्टोनमेंट एरिया में जो भी कर्मचारी अस्थायी तौर पर काम करते हैं उनको स्थायी किया जाना चाहिए। मैं पुनः इन 22 हरिजन मफाई कर्मचारियों को नौकरी पर लिये जाने की मांग करता हूँ।

(ii) IMPENDING DEMONSTRATION BY STUDENTS IN BIHAR

डा० रामजी सिंह (भागलपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति के आधार पर नियम 377 के अन्तर्गत, विभाग में छात्रों द्वारा, आगामी 18 मार्च को एक व्यापक और धोषण प्रदर्शन की तैयारी की सूचना दे रहा हूँ और आपके माध्यम से सरकार को भी आगाह करना चाहता हूँ कि छात्र